समाचार–प्रकाशनार्थ :–

अवेध व बकायादारों के आज से नल संयोजन होंगे विच्छेद प्रातः 8 से रात्री 9 बजे तक जमा करा सकेगें नागरिक जलकर

संपत्तिकर के बड़े बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने की आज से होगी कार्यवाही

प्रशमन (कम्पाउडिंग) नहीं कराने वाले भवन स्वामियों के तोड़े जायेगें अवैध निर्माण

30 जून तक प्रशमन (कम्पाउडिंग) शुल्क में दी जा रही 20

रतलाम 24 मार्च । नगर निगम के संपत्तिकर, जलकर, राजस्व, विकास शाखा, लायसेंस वसूली व बकाया की निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने समीक्षा कर दिये गये बकाया वसूली लक्ष्य की पूर्ति 31 मार्च तक करने के निर्देश के साथ ही अवैध व बकायादारों के नल संयोजन विच्छेद, संपत्तिकर के बड़े बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही करने, प्रशमन (कम्पाउडिंग) नहीं कराने वाले भवन स्वामियों के अवैध निर्माण तोड़े जाने के निर्देश संबंधितों को दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने जलकर वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जलकर के ऐसे उपभोक्ता जिनकी बकाया राशि 5000 से अधिक है ऐसे बकायादारों के प्रतिदिन 500 नल संयोजन विच्छेद किये जाये साथ ही ऐसे अवैध नल संयोजनकर्ता जो कि अपने नल संयोजन को वैध नहीं करा रहे है उनके प्रतिदिन 100 अवैध नल संयोजन विच्छेद किये जायें।

उन्होने निर्देशित किया कि 31 मार्च तक जलकर काउन्टर प्रातः 8 से रात्रि 9 बजे तक खुले रखे जायें ताकि अधिक से अधिक जलकर की बकाया राशि जमा होने के साथ ही नागरिकों को भी सुविधा हो।

संपत्तिकर वसूली की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि संपत्तिकर के ऐसे बड़े बकायादार जो कि नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करा रहे उन्हे धारा 174 के तहत अंतिम सूचना पत्र जारी कर तय समय–सीमा में संबंधितों की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जाये साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नपती का कार्य निरंतर जारी रखें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया दुकान एवं गुमटी किराये की 2000 से अधिक की राशि बकाया राशि होने पर 24 घन्टे में नोटिस जारी करें व तय समय सीमा में राशि जमा नहीं कराने पर संबंधितों की दुकान व गुमटी सील करने की कार्यवाही की जाये।

विकास शाखा की समोक्षा करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने बकाया लीजरेंट व नामांतरण प्रकरणों की जानकारी लेकर विकास शाखा की विभिन्न योजनाओं की आवासीय कॉलोनियों में रिक्त भूखण्डों की सर्वे सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ताकि अचल संपत्ति अंतरण नियम के तहत रिक्त भूखण्डो के विक्रय की कार्यवाही की जा सकें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने लायसेंस शाखा के तहत वसूली की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि नगर में कई ऐसे दुकानदार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान होंगे जिन्होने

लायसेंस नही बनवाया होगा या नवीनीकरण नहीं करवाया होगा इस हेतु दलों का गठन कर सर्वे का कार्य किया जाये।

नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत की छूट की अवधि को शासन द्वारा बढ़ाते हुए 30 जून किये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने नगर निगम इंजीनियर व कन्सलटेंट को निर्देशित किया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में कम्पाउडिंग हेतु 100–100 नोटिस जारी करें तथा तय समय सीमा में कम्पाउडिंग नहीं कराने वाले भवन स्वामियों के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही करें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री सत्यप्रकाश आचार्य, एम.के. जैन, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, मनीष तिवारी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर सहित विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख व कर्मचारी उपस्थित थे।

5 मालियों का 7 दिवस का वेतन काटा

सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी

रतलाम 24 मार्च । गंगासागर टंकी के पास रोपे गये पौधो के रख रखाव हेतु नियुक्त माली अमर–मोहन, पुष्कर साल्वी–मोहन, लोकेन्द्र–रामसिंह व राजेश–अम्बाराम द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुार संबंधितों का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया।

24 मार्च को 136 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

कचरा संग्रहण वाहनों ने कचरा संग्रहण हेतु लगाई 221 ट्रीप

रतलाम 24 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे

गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 24 मार्च गुरूवार को 136 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

24 मार्च गुरूवार को डम्पर से 24220 किलो, ट्रेक्टर से 14595 किलो, मैजिक सूखा कचरा 59840 किलो, मैजिक गीला कचरा 38565 किलो, सेनेटरी वेस्ट 3.5 किलो व घरेलू हानिकारक कचरा 2.8 किलो इस तरह कुल 136226.3 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 16.08 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 24 मार्च । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन क तहत नागरिकों द्वारा जमा कराय गये करो के तहत 24 मार्च गुरूवार को कुल राशि रूपये 16,08,486/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 24 मार्च गुरूवार को संपत्तिकर कार्यालय से 666669, वसूली दल 550167 कुल 1216836, जलकर कार्यालय से 150733, वसूली दल 72000 कुल 222733, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 12880 व वसूली दल 113728 कुल 126608 लीजरेंट 39104, लायसेंस 3205 इस तरह कुल राशि रूपये 16,08,486/– का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

13 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 24 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो मे प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 10 व दोपहर की शिफ्ट में 3 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

24 मार्च गुरूवार को वार्डो में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में बादल–दिलीप, अजय–विनोद, लीलाबाई पति फुलचन्द, राजबाई पति अर्जून, कुलदीप–नारायण, झोन क्रमांक 2 में मीनाबाई पति किशोर, रवि–सुरेश, लक्ष्मीबाई पति दीपक, महादेव–हरकचन्द, महेश अन्नी व दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में जमनेश–बाबुलाल, झोन क्रमांक 4 में दिनेश–बाबुलाल व सुनिताबाई पति शिवलाल इस तरह 13 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 24 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 24 मार्च गुरूवार को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार विश्व मंगल टी स्टॉल, पिन्टू पर 500–500, शैलेन्द्र पर 300, महालक्ष्मी गन्ना पर 250, दीपक पर 200, महावीर निनामा, राजू, राकेश व अशोक पर 100–100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियो को पकड़ने का अभियान निरंतर जारी 1438 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

रतलाम 24 मार्च । नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 1438 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 24 मार्च तक 1438 मवेशियों को पकड़ा जाकर गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 24 मार्च को अलकापुरी व राम मंदिर से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेषी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा।

शहर के 2821 श्वानों का बधियाकरण

रतलाम 24 मार्च । शहर में आवारा श्वानों के बधियाकरण हेतु जुलवानिया में निर्मित किये गये बधियाकरण केन्द्र 22 दिसम्बर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत नगर के विभिन्न

क्षेत्रों से नियमानुसार पकड़ा जाकर बधियाकरण केन्द्र लाया जाकर उनका बधियाकरण किया गया जिसके तहत 24 मार्च तक 2821 श्वानों का सफल बधियाकरण किया जा चुका है।

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 24 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 24 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 24 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होने अपने श्वान का रजिस्टेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना–पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों क विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/– एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/– प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/– रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 24 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 24 मार्च । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 24 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 24.03.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.